

राष्ट्रीय लोक अदालत ।

दिनांक 14-09-2019

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं01, रामपुर ।

धारा-34 पुलिस एक्ट

थाना- कोतवाली जिला-रामपुर ।

ब्यान मुलजिम

प्रश्न-1 क्या आपने थानाक्षेत्र कोतवाली में धारा 34 पुलिस एक्ट का अपराध कारित किया?

उत्तर- जी हां ।

प्रश्न-2 क्या आप स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं?

उत्तर- जी हां ।

प्रश्न-3 क्या आपको पता है कि जुर्म स्वीकार करने की दशा में सजा हो सकती है?

उत्तर- जी हां ।

प्रश्न-4 आपको कुछ और कहना है?

उत्तर- दुबारा गलती नहीं होगी । कम से कम दण्ड दिया जाये ।

सुनकर तस्दीक किया

दिनांक-14-09-2019

(शिल्पी रानी)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं01, रामपुर ।

आदेश

अभियुक्त को जुर्म स्वीकार के आधार पर धारा 34 पुलिस एक्ट थाना कोतवाली में मु० 20/- (बीस रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है । अर्थदण्ड न अदा करने पर एक दिन के कारावास की सजा व्यतीत करनी होगी ।

दिनांक-14-09-2019

(शिल्पी रानी)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं01, रामपुर ।